प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए संशोधित नियम (1.6.2022 से)

1. **योजना का विवरणः** पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से मृत्यु के लिए जीवन बीमा रक्षा देनेवाली एक बीमा योजना है। यह एक वर्ष का कवर है, जो वर्षानुवर्ष नवीकरणयोग्य है। यह योजना जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा इस प्रयोजन के लिए बैंकों / डाक घर के साथ आवश्यक अनुमोदनों और तालमेल (टाई-अप) सहित इसी प्रकार की शर्तों पर उक्त उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए इच्छुक अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से प्रस्तावित / नियंत्रित की जाती है।सहभागी बैंक/ डाक घर अपने अभिदाताओं के लिए इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु किसी भी जीवन बीमा कंपनी को तय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
2. **कवरेज का विस्तारः** सहभागी बैंकों/ डाक घर के 18 से 50 वर्ष तक के आयु-समूह के सभी वैयक्तिक खाताधारक इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं। एक या विभिन्न बैंकों/ डाक घर में एक से अधिक बैंक / डाक घर खाते धारण करनेवाले व्यक्ति के मामले में, ऐसा व्यक्ति केवल एक ही बैंक / डाक घर खाते के माध्यम से उक्त योजना में शामिल करने के लिए पात्र है। बैंक / डाक घर खाते के लिए आधार प्राथमिक केवाईसी दस्तावेज है।
3. **भर्ती अवधिः** उक्त कवर 1 जून से 31 मई तक व्याप्त एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित फार्मों में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक योजना में सम्मिलित होने/ नामोद्दिष्ट वैयक्तिक बैंक / डाक घर खाते से स्वतः नामे डालने (आटो-डेबिट) के द्वारा भुगतान करने के लिए विकल्प देने की आवश्यकता होगी। संभावित कवर के लिए विलंबित भर्ती नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान करने से संभव है।

   क) जून, जुलाई और अगस्त में भर्ती के लिए - रु. 436/- का पूर्ण वार्षिक प्रीमियम देय है।

   ख) सितंबर, अक्तूबर, और नवंबर में भर्ती के लिए - रु. 342/- का आनुपातिक प्रीमियम देय है।

   ग) दिसंबर, जनवरी और फरवरी में भर्ती के लिए - रु. 228/- का आनुपातिक प्रीमियम देय है।

   घ) मार्च, अप्रैल और मई में भर्ती के लिए - रु. 114/- का आनुपातिक प्रीमियम देय है।

भर्ती की तारीख से 30 दिन का ग्रहणाधिकार (लियन) अवधि लागू होगी।

4. **भर्ती की पद्धतिः** उक्त कवर 1 जून से 31 मई तक व्याप्त एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए योजना में सम्मिलित होने / नामोद्दिष्ट वैयक्तिक बैंक / डाक घर खाते से स्वतः नामे डालने (आटो-डेबिट) के द्वारा भुगतान करने के लिए निर्धारित फार्मों पर प्रत्येक वर्ष 31 मई तक विकल्प देने की आवश्यकता होगी। संभावित कवर के लिए विलंबित भर्ती उपर्युक्त पैरा में यथानिर्धारित आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान करने पर संभव है, जिसके लिए जोखिम प्रीमियम के स्वतः नामे डालने (आटो-डेबिट) की तारीख से प्रारंभ होगा।

1 जून 2021 को अथवा उसके बाद पहली बार भर्ती होनेवाले अभिदाताओं के लिए, उक्त योजना में भर्ती से प्रथम 30 दिन (लियन अवधि) के दौरान होनेवाली मृत्यु के लिए बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा तथा लियन अवधि के दौरान होनेवाली मृत्यु के लिए (दुर्घटना से होनेवाली मृत्यु को छोड़कर अन्य प्रकार से) कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

व्यक्ति जो किसी भी समय योजना से बाहर निकल जाते हैं, भावी वर्षों में इस योजना में पुनः शामिल हो सकते हैं। लियन अवधि के दौरान बीमा लाभों का अपवर्जन उन अभिदाताओं पर भी लागू होगा जो प्रथम वर्ष के दौरान या उसके बाद योजना से बाहर निकल जाते हैं, तथा 01 जून 2021 को या उसके बाद किसी भी तारीख को योजना में पुनः शामिल होते हैं।

आनेवाले वर्षों में, पात्र श्रेणी में नये सदस्य अथवा वर्तमान में पात्र व्यक्ति जिन्होंने पहले प्रवेश नहीं लिया है अथवा अपनी सदस्यता को बंद किया है, योजना के जारी रहते हुए ऊपर वर्णित 30 दिन की लियन अवधि के अधीन इसमें सम्मिलित हो सकेंगे।

5. **लाभः** किसी भी कारण से सदस्य की मृत्यु होने पर रु. 2 लाख देय है।
6. **प्रीमियमः** रु. 436/- प्रति वर्ष प्रति सदस्य। योजना के अंतर्गत भर्ती के समय दिये गये विकल्प के अनुसार एक किस्त में `स्वतः नामे' (आटो डेबिट) सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक / डाक घर खाते से प्रीमियम की कटौती की जाएगी। 31 मई के बाद संभावित कवर के लिए विलंबित भर्ती ऊपर पैरा 3 में निर्धारित रूप में आनुपातिक प्रीमियम का भुगतान करने पर संभव होगी। वार्षिक दावा अनुभव के आधार पर प्रीमियम की समीक्षा की जाएगी।
7. **पात्रता की शर्तें :**

उपर्युक्त पद्धति के अनुसार योजना में सम्मिलित होने के लिए / स्वतः नामे (आटो-डेबिट) को समर्थ बनाने के लिए अपनी सहमति देनेवाले 18 वर्ष (संपूर्ण) तथा 50 वर्ष (निकटतम जन्मदिन पर आयु) के बीच की आयु वाले सहभागी बैंकों / डाक घर के वैयक्तिक बैंक / डाक घर खाताधारकों की भर्ती इस योजना में की जाएगी।

8. **मास्टर पालिसीधारकः** सहभागी बैंक / डाक घर मास्टर पालिसीधारक हैं। सहभागी बैंकों / डाक घर के साथ परामर्श करने के बाद एलआईसी / अन्य बीमा कंपनियों के द्वारा एक सरल और अभिदाता-अनुकूल प्रबंधन और दावा निपटान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है।
9. **बीमा का समापनः** सदस्य के जीवन पर बीमा निम्नलिखित किसी भी स्थिति में समाप्त हो जाएगा तथा उसके अंतर्गत कोई भी लाभ देय नहीं होगा।
   1) 55 वर्ष की आयु के होने पर (निकटतम जन्म-दिन को आयु), उस तारीख तक वार्षिक नवीकरण के अधीन (तथापि, प्रवेश 50 वर्ष की आयु के बाद संभव नहीं होगा)।

2) बैंक / डाक घर के पास खाते का समापन अथवा बीमा को प्रचलित रखने के लिए अपर्याप्त शेष राशि का होना।
3) यदि किसी सदस्य को भारतीय जीवन बीमा निगम / अन्य बीमाकर्ता के पास एक से अधिक खातों के माध्यम से पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवर किया जाता है तथा एलआईसी/ अन्य कंपनी द्वारा त्रुटिवश प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर रु. 2 लाख तक सीमित किया जाएगा और दोहरे (डूप्लिकेट) बीमा(ओं) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त किया जा सकेगा।
4) यदि बीमा कवर नियत तारीख को अपर्याप्त शेष राशि के कारण अथवा योजना से बाहर निकल जाने के कारण समाप्त हो जाता है, तो यह ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित रूप में उपयुक्त प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बहाल किया जा सकता है, तथापि शर्त यह होगी कि कवर को नया माना जाएगा तथा 30 दिन का लियन खंड लागू होगा।
5) सहभागी बैंक नियमित भर्ती के मामले में प्रत्येक वर्ष 30 तारीख को या उसके पहले बीमा कंपनियों को प्रीमियम विप्रेषित करेंगे तथा अन्य मामलों में प्रीमियम प्राप्त होने पर उसी महीने में विप्रेषित करेंगे।

10.प्रबंधनः इस योजना का प्रबंध उपर्युक्त के अधीनएलआईसी पीएण्डजीएस यूनिटों / अन्य बीमा कंपनी संगठनों द्वारा किया जाता है। डेटा प्रवाह प्रक्रिया और डेटा प्रोफार्मा अलग से सूचित किया गया है।

सहभागी बैंक / डाक घर का यह दायित्व है कि वह **`स्वतः नामे' प्रक्रिया के द्वारा** नियत दिनांक को या उसके पहले खाताधारकों से विकल्प के अनुसार एक किस्त में उपयुक्त प्रीमियम की वसूली करें।

सहभागी बैंक / डाक घर द्वारा भर्ती फार्म / स्वतः नामे प्राधिकार / निर्धारित प्रोफार्मा में सहमति व घोषणा फार्म प्राप्त किया जाएगा। दावा किये जाने की स्थिति में एलआईसी /बीमा कंपनी इन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकती है। एलआईसी / बीमा कंपनी के पास किसी भी समय इन दस्तावेजों की अपेक्षा करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राप्ति-सूचना पर्ची को प्राप्ति-सूचना पर्ची-व- बीमा प्रमाणपत्र के रूप में बनाया जा सकता है।

यदि परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो तो किसी नई भावी नवीकरण तारीख के प्रारंभ से पहले इस योजना को बंद किया जा सकता है।

11. प्रीमियम का विनियोजनः

	प्रीमियम का विनियोजन जहाँ :	रु.436/- का संपूर्ण	रु.342/- की वसूली	रु.228/- की वसूली	रु.114/- की वसूली

		वार्षिक प्रीमियम वसूल किया गया है	जोखिम अवधि की दूसरी तिमाही में की गई है	जोखिम अवधि की तीसरी तिमाही में की गई है	जोखिम अवधि की चौथी तिमाही में की गई है
(1)	एलआईसी/बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम	रु.395/-	रु.309/-	रु.206/-	रु.103/-
(2)	व्यवसाय प्रतिनिधियों, अभिकर्ताओँ, आदि को देय कमीशन **(केवल नई भर्तियों के लिए)**	रु.30/-	रु.22.50	रु.15/-	रु.7.50
(3)	सहभागी बैंकों को देय प्रबंधकीय व्यय	रु.11/-	रु.10.50	रु.7/-	रु.3.50

टिप्पणीः व्यवसाय प्रतिनिधियों, अभिकर्ताओं, आदि को देय कमीशन की राशि जो मद (2) में विनिर्दिष्ट है, इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से खाताधारक के द्वारा स्वैच्छिक भर्ती के मामले में बचाई हुई है, ऊपर विनिर्दिष्ट रूप में देय बीमा प्रीमियम की राशि को तदनुरूप कम करने के द्वारा एक लाभ के रूप में आगे अभिदाता को दी जाएगी।